पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1110
दिनांक-04.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस व सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी किये गये सोने/चाँदी के आभूषण व 1320 रूपये नगद बरामद।**

01-कार्यवाहीः-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना बिजनौर श्री कपिल गौतम के नेतृत्व में चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-25.05.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती शिवांगिनी पाण्डेय पत्नी श्री निकुंज पाण्डेय निवासी A-02 रॉयल नगर औरंगाबाद जागीर लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादिनी के घर में दिनांक-24.05.2026 की रात्रि में 10,000 रु0 व कुछ आभूषण चोरी कर लेने के संबध में मु0अ0सं0-141/2026, धारा-331/305(ए) बीएनएस

वादी मुकदमा श्री राजू राय पुत्र शंकर राय निवासी मकान संख्या A-9 लक्ष्मी इन्क्लेव रायल सिटी थाना बिजनौर जिला लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में घुस कर घर का ताला तोड कर सोने चांदी के आभूषण व 17,000 रु0 नगद चोरी कर लेने के संबध में मु0अ0सं0-144/2026,धारा-331(1)/305 (ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटनाओं के सफल अनावरण एवं अज्ञात चोर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीमें गठित की गयीं थी। जिनके द्वारा लगभग 400-500 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त अमित कुमार रस्तोगी पुत्र अशोक कुमार रस्तोगी निवासी प्लाट नं0-18 कौशलपुरी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ हाल पता ग्राम चक सिकन्दर थाना हाजीपुर जिला वैशाली (विहार) उम्र लगभग 40 वर्ष की पहचान सुनिश्चित की गई।

आज दिनांक-04.07.26 की रात्रि को छुआराखेडा मोड के पास से अभियुक्त अमित कुमार रस्तोगी उपरोक्त की गिरफ्तारी कर कब्जे से चोरी गए माल की बरादमगी कर विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है। साथी अभियुक्त नरसिंह गौतम पुत्र गया प्रसाद निवासी बडा भरवारा बिराजखण्ड थाना बिभूतिखण्ड लखनऊ की तलाश जारी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-अमित कुमार रस्तोगी पुत्र अशोक कुमार रस्तोगी निवासी कौशलपुरी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ हाल पता ग्राम चक सिकन्दर थाना हाजीपुर जिला वैशाली (विहार) उम्र लगभग 40 वर्ष**(शिक्षा- स्नातक)**

04-पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त व उसका साथी नरसिंह गौतम पुत्र गया प्रसाद उपरोक्त ने मिलकर मई महीने में रॉयल सिटी में रात्रि में दो बन्द पडे घरों का ताला तोडकर घर के अन्दर घुसकर दोनों लोगों ने मिलकर ज्वैलरी व नकदी चोरी की थी, जो अभियुक्त व साथी नरसिंह द्वारा आपस में बाट ली गयी थी।

05-माड्स आपरेण्डीः-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अभियुक्त व साथी नरसिंह गौतम, हम लोग एक साथ मिल कर रात को बन्द पड़े मकानों की रेकी करते थे, जब हम लोगो को भरोसा हो जाता था कि घर में कोई नही है, तो ताला तोड़कर नगदी जेवरात व अन्य कीमती सामान चोरी करते थे। जिसे ठीक ठाक दाम पर राहगीरों को बेच कर पैसा आपस में बांट लेते थे।

06-आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित कुमारः-

1- मु0अ0सं0 335/24 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना बक्शी का तालाब लखनऊ
2- मु0अ0सं0 338/24 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना बक्शी का तालाब लखनऊ
3- मु0अ0सं0 344/24 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना बक्शी का तालाब लखनऊ
4- मु0अ0सं0 372/24 धारा 305(a), 331(6) बीएनएस थाना बक्शी का तालाब लखनऊ
5- मु0अ0सं0 380/24 धारा 109, 61(2) बीएनएस व 25/27/3 आयुध अधि0 थाना बक्शी का तालाब लखनऊ
6- मु0अ0सं0 121/23 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना चिनहट लखनऊ
7- मु0अ0सं0 457/23 धारा 380, 411, 420, 457 भादवि थाना चिनहट लखनऊ
8- मु0अ0सं0 467/23 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना चिनहट लखनऊ
9- मु0अ0सं0 468/23 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना चिनहट लखनऊ
10- मु0अ0सं0 166/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चिनहट लखनऊ
11- मु0अ0सं0 201/24 धारा 380, 411, 454 भादवि व 25, 3, 7 आयुध अधि0 थाना चिनहट लखनऊ
12- मु0अ0सं0 414/25 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ
13- मु0अ0सं0 471/25 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ
14- मु0अ0सं0 570/17 धारा 379, 411, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना मड़ियांव लखनऊ
15- मु0अ0सं0 89/21 धारा 380, 411 भादवि थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ
16- मु0अ0सं0 139/21 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ
17- मु0अ0सं0 76/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ
18- मु0अ0सं0 21/23 धारा 380, 411, 413 भादवि थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ
19- मु0अ0सं0 115/23 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ
20- मु0अ0सं0 134/23 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ
21- मु0अ0सं0 140/23 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ
22- मु0अ0सं0 76/23 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ
23- मु0अ0सं0 123/23 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ
24- मु0अ0सं0 252/23 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ
25- मु0अ0सं0 260/23 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ
26- मु0अ0सं0 24/24 धारा 380, 411, 454 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ
27- मु0अ0सं0 27/24 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ
28- मु0अ0सं0 36/24 धारा 380, 411 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ

07. अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0-141/2026 धारा-305 (ए)/331 बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ
2. मु0अ0सं0-144/2026 धारा-305 (ए)/331(1)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ

08-बरामदगी विवरण:-

- 04 अदद अंगूठी पीली धातु ,
- 01 अदद गले की चेन पीली धातु,
- 01 जोड़ी टाप्स पीली धातु ,
- 03 जोड़ी पायल सफेद धातु ,
- 01 अदद कटोरी सफेद धातु ,
- 01 अदद चम्मच सफेद धातु ,
- 01 अदद मांग टीका पीली धातु ,
- 01 जोडी कान का झुमका पीली धातु ,
- 02 अदद लाकेट पीली धातु ,
- 01 जोडी सुई धागा पीली धातु ,
- 01 अदद कमर पेटी पीली धातु ,
- 03 अदद प्लेट सफेद धातु ,
- 02 जोडी पायल सफेद धातु ,
- 01 अदद कमर पेटी सफेद धातु ,
- 08 अदद सिक्के सफेद धातु ,
- 03 अदद पान पत्ता सफेद धातु ,
- 08 अदद सुपारी सफेद धातु ,
- 03 अदद पत्ती सफेद धातु ,
- 01 अदद मछली टूटी हुई सफेद धातु,
- 01 अदद ब्रेसलेट सफेद धातु
- 04 अदद बिछिया सफेद धातु
- 1320 रूपये नगद

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना बिजनौर व सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1115
दिनांक-04.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- **थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा अपने बेटे की पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध वाले वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-कार्यवाही।

दिनांक 14.06.2026 को थाना स्थानीय के डाक पैड से प्राप्त प्रार्थना पत्र बावत आरोपीगण द्वारा वादिनी को प्रताड़ित करने, मारने पीटने, जान से मारने की धमकी देने तथा ससुर द्वारा गलत काम करने व दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 54/2025 धारा 498ए/323/506/354 भादवि0 व ¾ डी0पी0एक्ट बनाम (1) वादिनी का पति अभिषेक तिवारी 2. ससुर मुकेश कुमार तिवारी 3.मोनिका उर्फ मोना (ननद) 4. श्रुति तिवारी उर्फ सोना (ननद) के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में 354 का लोप करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर विरूद्ध 376 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

02-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.07.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र राम राम बैंक पर मामूर थी। कि जरिए मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि साहब जिस अभि0 मुकेश कुमार तिवारी पुत्र स्व० जगदीप तिवारी निवासी म0नं0 सी-77 सेक्टर ए महानगर थाना महानगर जनपद लखनऊ की तलाश आप कर रहे है वो इस समय केरिज रिपेयर वर्कशाप के सामने आलमबाग में मौजूद है यदि जल्दी की जाय तो पकाड जा सकता है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मुकेश कुमार तिवारी पुत्र स्व० जगदीप तिवारी निवासी म0नं0 सी-77 सेक्टर ए महानगर थाना महानगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष बताया।

पकड़े गये अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 054/2025 धारा 498ए/323/506/376 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना मडियांव लखनऊ से अवगत कराते हुए समय करीब 09.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ***अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।***

03.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त अपने बेटे के पत्नी को प्रताड़ित करना तथा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना।

04.अभियुक्त का विवरण:-

01. मुकेश कुमार तिवारी पुत्र स्व० जगदीप तिवारी निवासी म0नं0 सी-77 सेक्टर ए महानगर थाना महानगर जनपद लखनऊ

05.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार
3. उ0नि0 श्री पुष्पेद्र चौधरी
4. का0 मंजेश यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1113

दिनांक-04.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

- **थाना महिगवां पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त को गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।**
- **अभियुक्त को के क कब्जे से किमती जेवरात, 50,000 रूपये व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना महिगवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस में पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 04.07.2026 को घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस टीम ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर चोरी गया सम्पूर्ण माल बरामद कर लिया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.07.2026 को वादी श्री शिव मोहन मिश्रा पुत्र स्व0 श्री त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा निवासी बाके नगर चौराहा मोहम्मदपुर सरैंया थाना महिगंवा लखनऊ द्वारा अपने मकान से सोने-चांदी के आभूषण, नगदी एवं पूजा घर में रखी चांदी की मूर्तियां चोरी हो जाने के संबंध में थाना महिगवां पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना, तकनीकी साक्ष्यों एवं पतारसी-सुरागरसी के आधार पर अभियुक्तों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने पूर्व नियोजित योजना के तहत बाल अपचारी के बाबा के मकान में प्रवेश कर कमरे एवं अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण, नगदी तथा पूजा घर में रखी चांदी की मूर्तियां चोरी कर ली थीं। चोरी के बाद समस्त सामान को अभियुक्त सौरभ गुप्ता के मामा की कपड़े की दुकान की टाण्ड पर छिपाकर रखा गया था। दोनों चोरी की नगदी एवं जेवरात को आपस में बांटने तथा जेवरात बेचकर धनराशि प्राप्त करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

जांच में यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्तों ने पारिवारिक संबंध एवं घर की आंतरिक जानकारी का लाभ उठाते हुए रात्रि में मकान में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया था। चोरी के बाद माल को सुरक्षित स्थान पर छिपाकर बाद में बेचने की योजना बनाई गई थी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी की समस्त कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए संपन्न की गई। बाल अपचारी के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

02- अपराध का तरीका-

अभियुक्तों ने पारिवारिक परिस्थितियों एवं घर की जानकारी का लाभ उठाकर रात्रि में मकान में प्रवेश किया। कमरे एवं अलमारी के ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण, नगदी एवं पूजा घर की मूर्तियां चोरी कर लीं तथा चोरी का माल बाद में बेचने के उद्देश्य से एक कपड़े की दुकान में छिपाकर रख दिया।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सौरभ गुप्ता पुत्र उमेश गुप्ता निवासी चमकनी करौला बहादुरगंज, थाना बहादुरगंज, जनपद शाहजहाँपुर, हाल पता मोहम्मदपुर सरैया, थाना महिगवां, लखनऊ, उम्र लगभग 25 वर्ष।

02- 01 नफर बाल अपचारी उम्र करीब – 17 वर्ष।

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0 96/2026 धारा 331(4)/305(ए)/ 317(2) बीएनएस थाना महिगवां

05 बरामदगी-

- 02 अदद पीली धातु की चैन
- 04 अदद पीली धातु के कंगन
- 02 अदद पीली धातु की झुमकी
- 04 अदद पीली धातु की अंगूठी
- 01 अदद मंगलसूत्र
- 05 अदद पीली धातु के कान के टॉप्स
- 04 अदद पीली धातु की नाक की कील
- 01 अदद पीली धातु का सिक्का
- 10 अदद सफेद धातु की पायल
- 34 अदद सफेद धातु की बिछिया
- 01 अदद सफेद धातु की गणेश जी की मूर्ति
- 01 अदद सफेद धातु की लक्ष्मी जी की मूर्ति
- ₹50,000/- नगद
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद TVS NTORQ स्कूटी

बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम मौर्य (थानाध्यक्ष)
2. व0उ0नि0 श्री गौरीशंकर यादव
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार
4. उ0नि0 श्री अमित सिंह
5. उ0नि0 श्री धीरेन्द्र नाथ यादव
6. का0 लाल बहादुर (चालक)
7. का0 बनारसी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1112
दिनांक-04.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **धारदार एवं घातक हथियार से हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना पीजीआई पुलिस की कार्यवाही।**

01.कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हत्या करने वाले 01 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-03.07.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती पुष्पा रावत उर्फ क्षवि पत्नी स्व0 विनोद कुमार रावत पता ग्राम जगत खेड़ा मजरा कल्ली पश्चिम थाना पी0जी0आई0 लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0- 355/2026 धारा-191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस बनाम 01-अखिलेश रावत पुत्र रामलोटन 02-अमन रावत निवासीगण ग्राम ईश्वरीखेड़ा थाना पी0जी0आई0 लखनऊ 03-राधे सरकार उर्फ अभिषेक 04-अरून रावत, 05-अपिन लोधी, 06-सचिन रावत निवासीगण ग्राम सरथुवा थाना पी0जी0आई0 लखनऊ 07-शिवम चटियार निवासी नरपतगंज 08-राजू उर्फ रज्जा व अन्य अज्ञात द्वारा वादिनी के बेटे अभिषेक रावत को ग्राम सरथुवा में बुलाकर धारदार हथियार, लाठी-डण्डो व लोहे की करछुला (बड़ा पलटा) से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयीं थी। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया घटनास्थल पर पूछताछ की गयी। आज दिनांक-04.07.2026 को पूछताछ के दौरान सूचना मिलने पर घटना स्थल से घायल अवस्था मे भागा मुख्य आरोपी अखिलेश रावत पुत्र रामलोटन निवासी-ईश्वरी खेडा थाना पीजीआई लखनऊ को केजीएमयू ट्रामा सेन्टर बाद डिस्चार्ज गिरफ्तार किया गया। न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। मुकदमे से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तो की तलाश जारी है।

03- पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त व मृतक की पुरानी रंजिश के चलते मारपीट लड़ाई-झगड़ा हो गया, विवाद ज्यादा बढ़ जाने के कारण अभिषेक रावत बुरी तरह घायल हो गया था। जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अखिलेश रावत पुत्र रामलोटन, निवासी ग्राम ईश्वरी खेड़ा थाना पी0जी0आई0 लखनऊ उम्र 38 वर्ष।

05-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 286/2020 धारा 188,269,271 भादवि0 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 481/2021 धारा 392,411 भादवि0 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 479/2022 धारा 147,323,325,504,506 भादवि0 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 626/2022 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 225/2025 धारा 109,125,190,191(2),191(3),351(3),352 बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 251/2023 धारा 395,411 भादवि0 थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 404/2024 धारा 115(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ।

06-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरणः-

01- मु0अ0सं0- 355/2026 धारा-191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

☞ थाना पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1114
दिनांक-04.07.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना-सआदतगंज

- **थाना सआदतगंज पुलिस द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

आज दिनांक 04.07.2026 को थाना सआदतगंज क्षेत्रान्तर्गत 17 वर्षीय नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका के साथ घटित अपराध के आरोपी सतीश गौतम उर्फ कार्तिक चौधरी पुत्र स्व0 कैलाश निवासी वर्तमान पता धीरेन्द्र यादव के किराये के मकान,मडियाव गावं निकट शिवानी हास्पिटल थाना जानकीपुरम लखनऊ स्थायी पता- ग्राम पूरनपुर मजरे जरावन पोस्ट कोठवल थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.05.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा बावत नामित व्यक्ति द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 107/2026 धारा 137(2)/87 भा0न्या0सं0 बनाम कार्तिक चौधरी पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त में अथक प्रयास के बाद गुमशुदा/पीडिता उपरोक्त को दिनांक 11.06.2026 को सकुशल बरामद किया गया। अभियोग उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही व पीडिता के बयान के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी ।

आज दिनांक 04.07.2026 को मुखिवर की सूचना के आधार पर थाना सआदतगंज पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कार्तिक उपरोक्त को फब्बारे तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना नाम सतीश गौतम उर्फ कार्तिक चौधरी निवासी वर्तमान पता धीरेन्द्र यादव के किराये के मकान,मडियाव गावं निकट शिवानी हास्पिटल थाना जानकीपुरम लखनऊ स्थायी पता- ग्राम पूरनपुर मजरे जरावन पोस्ट कोठवल थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया गया। अभियुक्त सतीश गौतंम उर्फ कार्तिक चौधरी उपरोक्त को उसके अपराध व जुर्म धारा से अवगत कराते हुए गिरफ्तारी का कारण बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सतीश गौतम उर्फ कार्तिक चौधरी पुत्र स्व0 कैलाश निवासी वर्तमान पता धीरेन्द्र यादव के किराये के मकान,मडियाव गावं निकट शिवानी हास्पिटल थाना जानकीपुरम लखनऊ स्थायी पता- ग्राम पूरनपुर मजरे जरावन पोस्ट कोठवल थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर उम्र करीब 20 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0- 107/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सआदतगंज लखनऊ

05-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 107/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सआदतगंज लखनऊ

06- गिरफ्तार करने वाले पुलिस का नाम-

01.उ0नि0 रजत कटियार थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ

02.उ0नि0 अंकुर कुमार थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ

03.का0 अजीत यादव थाना सआदतगंज , कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1111

दिनांक-04.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-सैरपुर

- ***थाना सैरपुर की पुलिस टीम द्वारा बन्द मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।***
- ***अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न मकानो में से चोरी के 01 जोड़ी टाप्स (पीली धातु), 02 अदद पायल (सफेद धातु), 01 अदद चम्मच (सफेद धातु), 01 अंगूठी (सफेद धातु), 02 अदद खगोड़ा (सफेद धातु), 02 अदद सिक्के (सफेद धातु) व रूपया कुल 3,300/- रूपया व घटना में प्रयुक्त 01 अदद आटो ई-रिक्शा बरामद।***

01-कार्यवाही।

दिनांक 04.07.2026 को थाना सैरपुर की पुलिस टीम देखभाल चौकी क्षेत्र छठामील में ग्राम पल्हरी मोड़ पर मामूर थी। कि जरिए मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि आपके चोरी सम्बन्धित मुकदमा के मुल्जिमान चोरी में प्रयुक्त ई-रिक्शा से फर्रूखाबाद मोड़ के पास मौजूद हैं। यह लोग ताला बन्द मकान में चोरी करते हैं जो किसी घटना का अंजाम देने की फिराक में है यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति जो आटो चला रहा था ने अपना नाम मो0 वैश खान पुत्र फतेह खान निवासी मुत्तकीपुर अल्लूनगर डिगूरिया थाना मडियाव लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष व दूसरे व्यक्ति ने अपना सलमान पुत्र इरफान बेग निवासी म0नं0 15 ग्राम मुत्तकीपुर आईआईएम रोड़ थाना मडियाव लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष बताये।

जिनके कब्जे से 01 जोड़ी टाप्स (पीली धातु), 02 अदद पायल (सफेद धातु), 01 अदद चम्मच (सफेद धातु), 01 अंगूठी (सफेद धातु), 02 अदद खगोड़ा (सफेद धातु), 02 अदद सिक्के (सफेद धातु), 02 अदद आधार कार्ड व रूपया कुल 3300/- रूपया व घटना में प्रयुक्त 01 अदद आटो ई-रिक्शा वाहन संख्या UP 32 SN 1870 अन्तर्गत धारा 207 MV एक्ट बरामद हुए।

बरामद चोरी के सामान के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2026 धारा 305ए/331(3) बीएनएस, मु0अ0सं0 45/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305ए/331(3) बीएनएस पंजीकृत होना पाया गया। बरामदगी के आधार पर सभी मुकदमों में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धी की गयी। पकड़े गये अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।

02.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्तगण द्वारा बन्द मकानों का ताला तोड़कर सामान चोरी करना तथा आटों में सामान रखकर ले जाना।

03.गिरफ्तार अभियुकों का विवरणः-

01. मो0 वैश खान पुत्र फतेह खान निवासी मुत्तकीपुर अल्लूनगर डिगूरिया थाना मडियाव लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष **(व्यव्साय – वाहन मैकेनिक)**

02. सलमान पुत्र इरफान बेग निवासी म0नं0 15 ग्राम मुत्तकीपुर आईआईएम रोड़ थाना मडियाव लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष **(व्यव्साय – लोहा वैल्डिंग)**

04-अनाविरत अभियोग

01. मु0अ0सं0 62/2026 धारा 305ए/331(3)/317(2) बीएनएस थाना सैरपुर लखनऊ
02. मु0अ0सं0 45/2026 धारा 305ए/331(4)/ 317(2) बीएनएस थाना सैरपुर लखनऊ
03. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305ए/331(3)/ 317(2) बीएनएस थाना सैरपुर लखनऊ

05-बरामदगी का विवरणः-

- 01 जोड़ी टाप्स (पीली धातु),
- 02 अदद पायल (सफेद धातु),
- 01 अदद चम्मच (सफेद धातु),
- 01 अंगूठी (सफेद धातु),
- 02 अदद खगोड़ा (सफेद धातु),
- 02 अदद सिक्के (सफेद धातु),
- 02 अदद आधार कार्ड व रूपया
- कुल 3300/- रूपये
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद आटो ई-रिक्शा वाहन संख्या UP 32 SN 1870

06-गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार कोरी
2. उ0नि0 श्री रामदेव
3. उ0नि0 श्री मोनू कुमार
4. का0 अरविन्द वर्मा
5. का0 दिलीप द्विवेदी
6. का0 लव कुमार